(वाद संख्या–6766/2016)

18.03.2021

परिवादी, दया कुमार वर्मा व अंचलाधिकारी, मसौढ़ी, मृत्युंजय कुमार, उपस्थित है।

दोनों को सुना।

परिवादी का कथन है कि अंचल कार्यालय, मसौढ़ी द्वारा उसकी खतियानी जमीन में से मौजा–हरवंशपुर, थाना संख्या–157, खाता सख्या–102, खेसरा संख्या–131, 132 एवं 434 क्षेत्रफल क्रमशः 1.19 एकड़, 14डी0 एवं 67डी0 की जमाबंदी 43/1 गलत रूप से चन्द्रदीप सिंह बगैरह के नाम से कायम कर दी गयी है। इस अवैध जमाबंदी 43/1 के विरूद्ध उसकी और से अपर समाहर्त्ता, पटना के न्यायालय में अपील की गई। अपर समाहर्त्ता, पटना द्वारा चन्द्रदीप सिंह बगैरह के नाम से कायम जमाबंदी 43/1 में दर्ज परिवादी के खाता संख्या–103, खेसरा सं0–131, 132 एवं 434 क्षेत्रफल क्रमशः 1.19 एकड़, 14डी0 एवं 67डी0 की जमाबंदी को रद्द करने का आदेश दिया गया है, लेकिन उक्त आदेश के बावजूद अंचलाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा जमाबंदी 43/1 में दर्ज खाता संख्या–103, खेसरा सं0–132 क्षेत्रफल 14डी0 की जमाबंदी को रद्द नहीं किया गया है।

अंचलाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा प्रतिवेदन देकर तथा मौखिक रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि चन्द्रदीप सिंह बगैरह के नाम से कायम जमाबंदी 43/1 में दर्ज खाता सं0–101, खेसरा सं0–131, 132 एवं 434 में से खेसरा सं0–131 एवं 434 क्षेत्रफल 1.19 एकड़ तथा 67डी0 की जमाबंदी को रद्द कर दिया गया है। उनकी ओर से इस संबंध में राज्य आयोग के समक्ष अपनी संचिका के साथ संलग्न जमाबंदी 43/1 में उपरोक्त दोनों खेसरा के रद्दीकरण से संबंधित आदेश को दिखाया गया। अंचलाधिकारी, मसौढ़ी का कथन है कि चन्द्रदीप सिंह बगैरह के नाम से कायम जमाबंदी 43/1 में खाता सं0–102, खेसरा सं0–132 क्षेत्रफल 14डी0 दर्ज नहीं है। अंचल कार्यालय, मसौढ़ी के प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि खाता सं0–101, खेसरा सं0–102, रकवा– 14.0625डी0 श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ श्याम बाबु सिंह पुत्र, स्व0 गौरख प्रसाद सिंह के नाम से दाखिल खारिज वाद सं0–426/07–08 के द्वारा वर्ष, 2007 में जमाबंदी सं0– 559/01 के रूप में कायम किया गया है। चूकि विवादित खेसरा सं0– 132 के क्षेत्रफल 14डी0 चन्द्रदीप सिंह बगैरह के नाम से कायम जमाबंदी सं0–43/1 में दर्ज

न होकर कृष्ण कुमार सिंह उर्फ श्याम बाबू सिंह के जमाबंदी सं0–559/01 में दर्ज है इसीलिए उनकी ओर से अपर समाहर्त्ता, पटना के उपरोक्त खेसरा को रद्द नहीं किया जा सका है तथा इस संबंध में उनकी ओर से भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, मसौढ़ी से दिशा–निर्देश की अपेक्षा की गयी है।

परिवादी कुछ कागजातों को राज्य आयोग के समक्ष उपस्थापित कर अंचलाधिकारी, मसौढ़ी के खाता सं0–132 के संबंध में दिये गये तर्क का प्रतिवाद करते है तथा उनका कथन है कि उक्त विवादित खेसरा सं0–132 के 14डी0 जमीन को चन्द्रदीप सिंह के उत्तराधिकारयों द्वारा किसी अन्य को बिक्रय कर दिया गया है।

अंचलाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा उक्त के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की गयी तथा परिवादी से अनुरोध किया कि इस संबंध में सुसंगत कागजातों के साथ अंचल कार्यालय, मसौढ़ी में उपस्थित हो ताकि अंचल कार्यालय के अभिलेखों से कागजातों का सत्यापन किया जा सके। परिवादी अंचलाधिकारी के कथन से सहमति व्यक्त करते हैं।

उभय पक्ष की ओर से राज्य आयोग से अनुरोध किया गया कि अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–13.04.2021 को सुनिश्चित की जाय। उभय पक्ष की जानकारी में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–13.04.2021 सुनिश्चित की जाती है तथा अंचलाधिकारी, मसौढ़ी तथा परिवादी को उक्त सुनिश्चित तिथि को स–समय राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है, जिस पर अंचलाधिकारी, मसौढ़ी तथा परिवादी द्वारा सहमति व्यक्त की जा रही है।

आज परिवादी तथा अंचलाधिकारी, मसौढ़ी की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली सुनिश्चित तिथि को स–समय उपस्थिति हेतु उन्हें अलग से नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

सुनवाई हेतु संचिका दिनांक–13.04.2021 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक